न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—148/2021 /223 (2021/148)

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव।

अपीलांट

बनाम

1. मैसर्स जे.के. लाल एण्ड कम्पनी जरिये प्रापेराईटर श्री लालचंद जयनानी निवासी 10 लार्ड कॉलोनी यशवन्त निवास रोड इंदौर मध्य प्रदेश हाल निवासी पर्वतपुरा आदर्श नगर रेल्वे स्टेशन के पास, अजमेर।
2. रामनिवास यादव पुत्र स्व0 श्री भागीरथ यादव, जाति यादव, निवासी 29ए, बालूपुरा रोड आदर्श नगर, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
4. पटवारी, पटवार मण्डल परवतपुरा, अजमेर।

रेसपोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर ,द्वारा अंतर्गत वाद संख्या 121/2008 (00124/2014).

उपस्थितः—

1. श्री हरि सिंह गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मृणाल शर्मा, अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 1.
3. श्री प्रदीप यादव अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 2
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 3
5. रेसपोडेन्ट संख्या 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 02.09.2022.

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं दिनांक 3.3.2021, वाद संख्या 121/2008 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रतिवादीगण/रेसपोडेंट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 92 रकबा 3 बीघा भूमि किस्म बारानी का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और वादी ने रिकार्डेड खातेदार से पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया है एवं भूमि वादी के विक्रेता एवं वादी के नाम दर्ज है तथा बिना किसी सूचना के, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के एवं सुनवाई का मौका दिये वादग्रस्त भूमि को त्रुटिपूर्ण रूप से रिवायचक दर्ज कर दिया गया, जिसे वादी इंद्राज दुरूस्ती खातेदारी उदघोषणा हक एवं वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जमाबंदी में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.5.2014 के विरूद्ध अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ने एक अपील न्यायाल राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर द्वारा दिनांक 14.1.2015 को स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात में से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विक्रीत आराजीयात रूपांतरण एवं विक्रय की गई भूमि के रकबे का सही मिलान एवं गणना करते हुए तथा साथ ही उनके समक्ष अन्य विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 127/2014 रामनिवास यादव बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को संयुक्त कर पुनः निर्णय किए जाने का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त राजस्व वाद पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से अपने आदेश दिनांक 3.3.2021 को विवादित आराजीयात खसरा संख्या 92–अ का रकबा 1–8–2 बीघा जो कि 2715.05 वर्ग गज बाबत वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त राजस्व वाद को स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 3.3.2021 को पारित कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट माननीय न्यायालय में यह अपील निम्न ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर कथन किया कि लॉक डाउन किए जाने की स्थिति में दिनांक 19.4.2021 से 8.6.2021 तक सभी न्यायिक कार्य बंद रह जिस कारण प्रार्थी समयावधि में उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 92 अ का रकबा 1–8–02 बीघा जा कि स्पष्ट रूप से 2715.05 वर्गगत के रूप में थी जिसका कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मनमाने तरीके सके अभिवचन कर उक्त आराजीयात जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अंतर्गत कृषि भूमि में नहीं होने के बावजूद उसका विवेचन कृषि भूमि में कर अविधिक रूप से वादी/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 को अवांछित लाभ देने की गरज से उक्त राजस्व वाद को अपने निर्णय दिनांक 3.3.2021 द्वारा स्वीकार कर डिक्री किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। विवादिज आराजीयात दिनांक 15.6.1958 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन पड़त होने से राज्य में उक्त आराजीयात बाबत समस्त हक एवं अधिकार निहित हो गए थे तथा दिनांक 1.11.1959 को जमींदारी बिस्वेदारी उम्मूलन अधिनियम प्रभाव में आया जिससे तत्कालीन काश्तकारों द्वासरा विवादित भूमि खुदकाश्त अथवा निजी सम्पत्ति घोषित नहीं करवाई गई जिससे विवादित आराजीयात राज्य में निहित हुए एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त आराजीयात राज्य में निहित हुए एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त आराजीयात आबादी विस्तार हेतु जरिये आदेश जिला कलक्टर अजमेर, दिनांक 25.2.2004 को नगर सुधार न्यास अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कर दी गई। उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2021 को स्वीकार कर लिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। विवादित आरजीयात बाबत वादी अथवा वादी के पूर्व विक्रेताओं द्वारा लगान, बिगोडी इत्यादी जमा नहीं करवाई गई तथा दिनांक 25.2.2004 से विवादित आराजीयात अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आबादी विस्तार हेतु प्रदान कर दी गई थी तथा उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के अनुसार कृषि भूमि की परिभाषा से बाहर हो गई थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से विवादित आराजीयात कुल रकबा 2715.05 वर्ग गज को पुनः रकबा 1–8–2 बीघा में कनवर्ट कर वादी को अवांछित लाभ देने की गरज से उक्त राजस्व वाद दिनांक 3.3.2021 को स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात बाबत वादी अथवा वादी के पूर्व विक्रेताओं के नाम राजस्व जमाबंदी में दर्ज नहीं रही तथा ना ही वादी अथवा वादी के पूर्व विक्रेताओं द्वारा अपने शून्य विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं करवाया। इस प्रकार से ऐसे शून्य विक्रय पत्र को वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई अधिकार प्रोदबूध नहीं होते हैं इसके बावजूद न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.3.2021 द्वारा उक्त राजस्व वाद को स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.3..2021 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब बहस प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह संतोष प्रद नही होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि ग्राम परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित भूमि पुराने खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 92–अ का रकबा 3–18–10 बीघा चौसाला जमाबंदी सम्वत 2017 से 2020 के अनुसार कालू पुत्र बालू जाति रावत की खातेदारी में होने से कालू ने पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 27.02.1963 को 3 बीघा भूमि का बेचान क्रेता किशनचन्द पुत्र दौलतराम को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 26.12.1963 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में अंकन दर्ज किया जो चौसाला प्रमाणित जमाबंदी है और उसके बाद वादी ने उक्त 3 बीघा भूमि में से पंजीकृत विक्रय–पत्रों से बैचान कर दिये तथा 624 वर्गगज भूमि को नजराना देकर रूपान्तरित करवा लिया जिससे शेष बची भूमि 2901 वर्गगज का अंकन राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज करवाये जाने के लिए वाद प्रस्तुत किया क्योंकि भू–संशोधन के दौरान बिना किसी विधिक एवं सक्षम न्यायालय एवं अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किये राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया और गलत अंकन के आधार पर अपीलांट अजमेर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तांतरित कर दिया जिसका की अप्रार्थी संख्या 02 को कोई अधिकार प्राप्त नही था जिससे वादी को इन्द्राज दुरूस्ती हक–घोषण एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पड़ा जिस पर जवाब–दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त तनकीयात कायम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, अजमेर ने वाद संख्या 121/2008 को स्वीकार करते हुए दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भूमि से सम्बन्ध नही है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खातदोर, काश्तकारी की कालू पुत्र बालू जाति रावत की रही है जो कि जमीदार नही था और जिसके बैचान के बाद भी क्रेता रेसपोडेन्ट संख्या 01 को खातेदार दर्ज किया है जिससे भी कथन सारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है और खातेदारी की भूमि को निजी घोषित कराने के प्रावधाना सामान्यतः काश्तकार को प्राप्त नही रहे है बल्कि जमींदारों, बिस्वेदारो को ही प्राप्त हुए है जिनकी भूमि जब्त हुई है तथा तृतीय अनुसूची में धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत करने के लिए कोई समावधि निर्धारित नहीं की है तथा काफी सालो से बासनी भूमि का लगान माफ है। जिससे लगान/बिगोड़ी नही ली गई ह तथा आबादी विस्तार के लिए खातेदार की भूमि को केवल भूमि आवाप्ति करते हुए ही मुआवजा लेकर दिया जा सकता है एवं खातेदार को अपनी भूमि के बैचान करने के विधिक अधिकार प्राप्त रहे है जिससे समस्त बेचान विधिवत है जिनका आज तक समक्ष न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है। जिससे भी अपीलांट की अपील असत्य, आधारहीन, विधिक प्रावधानो के विपरीत कथन करते हुए जिस प्रकार से प्रस्तुत की है वो स्वीकार किये जाने योग्य नही से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 01 ने आर.बी.जे. 2016 पेज 303, आर.बी.जे.–1996 पेज 306, आर.बी.जे. –1998 पेज 568, आर.आर.डी.,–1979 पेज संख्या 01 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र में जो अंकित कारण बताये है कि दिनांक 19.03.2021 से 08.06.2021 तक सम्पूर्ण राजस्थान में कोविड 19 के कारण लोकडाउन स्थापित होने के कारण सभी न्यायिक कार्य बंद रहे। अभिभाषक प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये है, जो संतोष जनक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुयी देरी को कन्डोन करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. गुणावगुण में पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन ग्राम परवतपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। भूमि पुराने खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 92–अ का रकबा 3–18–10 बीघा चौसाला जमाबंदी सम्वत 2017 से 2020 के अनुसार कालू पुत्र बालू जाति रावत की खातेदारी में होने से कालू ने पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 27.02.1963 को 3 बीघा भूमि का बेचान क्रेता किशनचन्द पुत्र दौलतराम को कर दिया तथा जिसका नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 26.12.1963 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में अंकन दर्ज किया जो चौसाला प्रमाणित जमाबंदी है और उसके बाद वादी ने उक्त 3 बीघा भूमि में से पंजीकृत विक्रय–पत्रों से बैचान की गई। उक्त भूमि में से 624 वर्गगज भूमि को रेसपोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रूपान्तरित करवा लिया एवं जिससे शेष बची भूमि 2901 वर्गगज का अंकन राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज करवाये जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि भू–संशोधन के दौरान बिना किसी विधिक एवं सक्षम न्यायालय एवं अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किये राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया और गलत अंकन के आधार पर अपीलांट अजमेर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तांतरित कर दिया जिसका की अप्रार्थी संख्या 02 को कोई अधिकार प्राप्त नही था। महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू यह कि क्या भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी राजस्व रिकार्ड में हुए पूर्व के

19.05.2014 को डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील संख्या 347/2014 उक्त अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 14.01.2005 को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि विवादित भूमि के संदर्भ में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा रूपान्तरित एवं विक्रय की गई भूमि के रकबे का सही मिलान व गणाना करते हुए पक्षकारान से साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय करें। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को वाद संख्या 124/2014 को दर्ज करते हुए उपरोक्त पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी ने मान्नीय न्यायालय के निर्देशो की पालना में अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए सही गणना प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने कोई भी साक्ष्य, सबूत खण्डन में प्रस्तुत नही किये जाने पर उपरोक्त सभी पक्षकारों की बहस सुनकर आदेश दिनांक 03.03.2021 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जे.के.लाल एण्ड कम्पनी का वाद स्वीकार करते हुए 2715.05 वर्गगत भूमि का खातेदार स्वीकार करतेहुए राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन के आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को निर्देश देते हुए पारित किय। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने पहले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध भी कोई अपील नही की और ना ही निर्णय/डिक्री दिनांक 03.03.2021 के विरूद्ध ही कोई अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिससे उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णयों को सही होना स्वीकार किया है और कोई क्रॉस आब्जेक्शन भी प्रस्तुत नहीं किया जिसके उनके विरूद्ध लॉ ऑफ स्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलांट की पूर्व की मान्नीय न्यायालय ने अपील संख्या 347/2014 निर्णय दिनांक 14.01.2015 को आंशिक रूप से स्वीकार की थी और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करने के उपरान्त भी अपीलांट के द्वारा कोई मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी के द्वारा प्रस्तुत सशपथ बयान व दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन ही किया है और विधि का सर्वमान्य सिद्धानत है कि त्रुटिपूर्ण अंकन से मूल खातेदार सद्भावी क्रेता के हक–हुक, अधिकार प्रभावित नहीं होते है और मूल–प्रबन्धक विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौराने राजस्व अभिलेख जमाबंदी के किसी भी इन्द्राज को परिवर्तन करने का कोई भी अधिकार नही है जैसा कि आर.बी.जे.–2016 पेज संख्या 304 पर प्रतिपादित किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि विधि के प्रावधानो के अनुसार खातदेारी की भूमि को खातेदार से प्राप्त करने से पूर्व भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर उसे क्षति–पूर्ति राशि अदा किये जाने के उपरान्त ही समर्पण करवा कर सरकारी दर्ज कर अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए अथवा योयनाओं के उपयोग के लिए हस्तातंरित किया जा सकता है जैसा कि अपीलांट को खातेदार की भूमि दिये जाने से पर्वू ऐसी कोई विधिक कार्यवाही नहीं किया जाना साबित है तब अपीलांट को त्रुटिपूर्ण इन्द्रात के आधार पर हुए हस्तातंरण से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है जिससे भी अपीलांट की अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील मीमो की मद संख्या 02 में वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर गैर–कृषि भूमि होने का कथन किया है जो कि गलत है रेस्पोडेन्ट/वाद ने 1963 को खातेदारी अंकन की जमाबंदी प्रस्तुत जिससे वादगस्त भूमि की किस्म बारानी है तथा त्रुटि से सिवायचक अंकन करने के राजे भी किस्म बारानी दर्ज है जिससे अपील सारहीन है तथा अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के बाबत् गलत तरीके से काश्तकारी अधिनियम, एवं जमीदारी, बिस्वेदारी अधिनियम का कथन किया है जिसका वादगस्त

अंकन को परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार रखते है अथवा नहीं। यह सुस्थापित सिद्धानत हैकि भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी राजस्व रिकार्ड में हुए अंकन को परिवर्तन करने का अधिकार नही रखते है इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नही है कि विवादग्रस्त भूमि पहले क्रेता किशनचन्द पुत्र दौलतराम के नाम रही है जिसका नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 26.12.1963 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में अंकन दर्ज थी। भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये गये राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से अपीलांट को कोई प्राप्त नही होते है, जैसा कि आर.वी.जे. (23)2016 पेज 303 में यह प्रतिपादित किया है कि "Section 106- Settlement Department cannot change the kind of land or the right of the parties in the land"। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है,इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर